न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–सरकार वनाम मनीष लोदी वगैरा
किस्म– सैशन प्रकरण नंबर–64/2014, क.न.–26/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27-03-26	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अब्दुल जब्बार वरजमानत मय अधिवक्ता उपस्थित, अभियुक्त अब्दुल रहीम फौत तथा अन्य अभियुक्तगण कुलदीप, अवनीश एवं मनीष लोदी अनुपस्थित, की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो आज हेतु स्वीकार किया गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 13.03.2026 को धारा 311 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संबंध में बहस सुनी गई। अपर लोक अभियोजक ने धारा 311 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र संख्या 233/2014 पेश किए जाने पर उसमें वर्णित सूची के गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर साक्ष्य पूर्ण मानते हुए पत्रावली बयान मुल्जिम हेतु नियत कर दी गई थी लेकिन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 भी प्रस्तुत हुआ था जिसमें वर्णित गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध नही हुई जो कि उक्त प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी है, साथ ही आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 में जिला आरमोर प्रभारी नागौर प्रेमसिंह की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है लेकिन उक्त गवाह का नाम साक्ष्य सूची में सहवन से जोडने से रह गया चूंकि आरोप पत्र में मुल्जिमान के विरूद्ध आयुध अधिनियम का आरोप है और उक्त प्रकरण में आयुध अधिनियम की स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का नाम भी सहवन से साक्ष्य सूची	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

में जोडने से रह गया तथा आरोप पत्र संख्या 233/14 में पत्रावली के साथ प्रस्तुत सीडीआर से संबंधित नोडल अधिकारी रमेश सिंह बिष्ट, नोडल अधिकारी आईडिया कंपनी व हेमराज नपित, नोडल अधिकारी, टाटा कंपनी तथा तत्कालीन मालखाना प्रभारी का नाम भी साक्ष्य सूची में जोड़ने से रह गया था। उक्त सभी साक्षीगण प्रकरण के महत्वपूर्ण व आवश्यक गवाह है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 के समस्त साक्षीगण, रमेश सिंह बिष्ट, नोडल अधिकारी आईडिया कंपनी व हेमराज नपित, नोडल अधिकारी, टाटा कंपनी तथा तत्कालीन मालखाना प्रभारी तथा तत्कालीन जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट नागौर को साक्ष्य हेतु तलब किए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जवाब पेश न कर मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र के संबंध आपत्ति जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज फरमाने जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परीशीलन किया गया। अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पेश आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 के समस्त साक्षीगण, रमेश सिंह बिष्ट, नोडल अधिकारी आईडिया कंपनी व हेमराज नपित, नोडल अधिकारी, टाटा कंपनी तथा तत्कालीन मालखाना प्रभारी तथा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट नागौर को साक्ष्य हेतु तलब किया जावें इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप कुमार के विरूद्ध राजन विशाल, जिला कलक्टर व जिला

अपर [illegible] न्यायाधीश
[illegible], जिला [illegible]-कुचामन

मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई थी, साथ ही रमेश सिंह बिष्ट नोडल अधिकारी, आईडिया कंपनी तथा हेमराज नपित नोडल अधिकारी टाटा कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मय सीडीआर पत्रावली पर उपलब्ध है तथा आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है एवं मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में सलंग्न है इस संबंध में अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि उक्त गवाहान के नाम गवाहान सूची में जोड़ने से रह गये है अतः उक्त गवाहान के नाम गवाह सूची में जोड़कर साक्ष्य हेतु तलब किया जाने का निवेदन किया चूंकि पत्रावली बयान मुल्जिम की स्टेज पर नियत है इस संबंध में न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत Swapan Kumar Chatterjee Vs. Central Bureau of Investigation 2019 (14) SCC 328. का अवलोकन किया गया। The relevant paras of Swapan Kumar Chatterjee(supra) are as under:-

"10. The first part of this section which is permissive gives purely discretionary authority to the criminal court and enables it at any stage of inquiry, trial or other proceedings under the Code to act in one of the three ways, namely, (i) to summon any person as a witness; or (ii) to examine any person in attendance, though not summoned as a witness; or (iii) to recall and re-examine any person already examined. The second part, which is mandatory, imposes an obligation on the court (i) to summon and examine or (ii) to recall and reexamine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case.

अपर सेशन न्यायाधीश

11. It is well settled that the power conferred under Section 311 should be invoked by the court only to meet the ends of justice. The power is to be exercised only for strong and valid reasons and it should be exercised with great caution and circumspection. The court has vide power under this section to even recall witnesses for re-examination or further examination, necessary in the interest of justice, but the same has to be exercised after taking into consideration the facts and circumstances of each case. The power under this provision shall not be exercised if the court is of the view that the application has been filed as an abuse of the process of law."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत न्यायालय के द्वारा किसी आवश्यक साक्ष्य को सम्मन करने की शक्ति उस स्थिति में प्रदान की गई जबकि वह न्यायिक उद्देश्य के लिये आवश्यक है। उक्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर न्यायसंगत व न्यायोचित कारण होने पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग न्यायालय को विधि विरूद्ध प्रावधान के तहत प्रयोग में नहीं लेना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा होता है, हालांकि उक्त गवाहान हस्तगत प्रकरण में परीक्षित नही हुए है एवं पत्रावली बयान मुल्जिम की स्टेज पर लंबित है। हस्तगत प्रकरण में उक्त गवाहान द्वारा जारी दस्तावेजात पत्रावली पर होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होते है जिससे उक्त गवाहान प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान है जिन्हे साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

है अतः अपर लोक अभियोजक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 311 सीआरपीसी का स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि :– आरोप पत्र संख्या 233ए/2017 की गवाह सूची के गवाह संख्या 1 से 7 को दिनांक 10.04.2026 के लिए जरिए जमानती वारण्ट 1000/–रूपए से तथा गवाह संख्या 8 एवं मदनलाल हैडकॉस्टेबल नंबर 990 पुलिस थाना मकराना, तत्कालीन मालखाना प्रभारी को जरिए जमानती वारण्ट 1000/–रूपए से दिनांक 17.04.2026 के लिए तथा गवाह रमेश सिंह बिष्ट, नोडल अधिकारी आईडिया कंपनी व गवाह हेमराज नपित, नोडल अधिकारी, टाटा कंपनी तथा तथा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट नागौर राजन विशाल, को जरिए जमानती वारण्ट 1000/–रूपए से दिनांक 18.04.2026 के लिए तलब किया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

वारण्ट जारी
D.N. 272 to 277
30/3/26